

निदेशालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक एफ 23(45)लेखा/निकाशि/मुउशिछायो/2012-13/06


दिनांक 18-12-12

समस्त प्राचार्य
राजकीय / निजी / तकनीकी महाविद्यालय
राजस्थान

विषय :- मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना 2012 के अन्तर्गत आय सीमा 2.50 लाख करने बाबत ।

उपरोक्त विषयान्तर्गत “ मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना 2012 ” के अन्तर्गत उच्च तथा तकनीकी अध्ययन हेतु छात्रवृत्ति की पात्रता माता-पिता/अभिभावक की आय सीमा को रू0 1.00 लाख से बढ़ाकर 2.50 लाख किया जा रहा है ।

आय सीमा बढ़ाने के औपचारिक आदेश अलग से जारी किये जावेंगे ।


(नवीन जैन)

निदेशक

कॉलेज शिक्षा, राजस्थान,
जयपुर

क्रमांक एफ 23(45)लेखा/निकाशि/मुउशिछायो/2012-13/06-10

दिनांक 18-12-12

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा, राजस्थान, जयपुर ।
2. निजी सचिव, निदेशक, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर ।
3. समस्त नोडल अधिकारी को प्रेषित कर लेख है कि उक्त योजनान्तर्गत आवेदन-पत्र शीतकालीन अवकाश में भी प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करें तथा दिनांक 3.1.2013 को jdplan.cce@rajasthan.gov.in पर प्राप्त आवेदन पत्रों की वर्ग वार संख्या अपलोड करें ।
4. श्री धीरेन्द्र देवर्षि, वेबसाईट पर अपलोड हेतु ।



(डॉ. सी.एम. खटीक)

संयुक्त निदेशक (छात्रवृत्ति)